सरकार पॉजिटिव रहेगी तो वर्ष 2004-06 तक जितने भी राज्य हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस और म्युच्युल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो भी फैसला होगा, उसके आधार पर सभी राज्यों को NIFT के नए सेंटर्स मिलने की संभावना है।

मध्य प्रदेश में बाढ़

*144. **श्री पी० के० माहेश्वरी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित हुए किसानों को सहायता पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ख) इस साल की बाढ़ से प्रदेश में खेती को कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) क्या इस आपदा का सामना करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गई राहत सहायता को सरकार द्वारा पूरी तरह मुहैया करा दिया गया है?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

राहत व्यय के वित्त पोषण की मौजूदा योजना के अनुसार, संबंधित राज्य सरकार, आपदा राहत निधि (सी आर एफ), जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा 3:1 के अनुपात में योगदान दिया जाता है, की समग्र निधि में से बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास उपाय करने के लिए जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश राज्य को वर्ष 2005-06 के लिए सी आर एफ में 254.23 करोड़ रु० की राशि आवंटित की गई है जिसमें 190.67 करोड़ रु० का केन्द्रीय योगदान तथा राज्य योगदान के रूप में 63.56 करोड़ रु० शामिल है। मध्य प्रदेश राज्य को 95.335 करोड़ रु० की राशि, 6 जुलाई, 2005 को सी आर एफ के केन्द्रीय अंश की प्रथम किश्त के रूप में जारी की जा चुकी है।

गंभीर स्वरूप की आपदा की स्थिति में और यदि राज्य के सी आर एफ खाते में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं है तो स्थापित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन सी सी एफ) में से राज्यों को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। जहां कहीं आवश्यक होता है, भारत सरकार वित्तीय और संभारिकी सहायता उपलब्ध करवाकर राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने में मदद करती है। प्राकृतिक आपदा आने की स्थिति में, अनुमोदित मदों और व्यय के मानदंडों के अनुसार सी आर एफ/एन सी सी एफ से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश में कृषि को हुई हानि के संबंध में राज्य सरकार ने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि नौ जिलों में भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित बहुत बड़े क्षेत्र में अभी बुआई होनी है। राज्य सरकार के अनुसार अनुमानत: 7.86 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में विलम्ब से बुआई होने की संभावना है, वह क्षेत्र जहां बाढ़ के कारण बुआई नहीं हुई 3.86 लाख हैक्टेयर है तथा 0.22 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में दुबारा बुआई हो रही है।

राज्य सरकार के ज्ञापन में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को राहत तथा जुलाई, 2005 में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सम्पत्ति/आधारभूत ढांचे की मरम्मत और पुनरुद्धार के लिए 628.21 करोड़ रु० की कुल राशि की केन्द्रीय सहायता मांगी गई है। छोटे और अकृष्य किसानों से संबंधित 2.39 लाख हैक्टेयर फसल क्षेत्र हेतु निवेश इमदाद प्रदान करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, 23.88 करोड़ रु० की राशि मांगी गई है।

राज्य सरकार द्वारा राहत अभियानों हेतु धनराशि की आवश्यकता और नुकसान का आकलन करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयी दल ने राज्य का दौरा किया है। इस दल की रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है। सरकार द्वारा सहायता के वर्तमान मानदंडों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप केंद्रीय दल की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाती है।

Floods in Madhya Pradesh

†*144. SHRI P.K. MAHESHWARI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the steps taken by Government to provide assistance to the farmers affected by devastating floods in Madhya Pradesh;

(b) the extent of loss to agriculture in the State by the floods this year; and

(c) whether Government have provided in full the relief assistance demanded by the State Government for facing this calamity?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

As per the existing scheme of financing Relief Expenditure, the State Government concerned is responsible for undertaking relief and rehabilitation measures in the areas affected by natural calamities, including floods out

†Original notice of the question was received in Hindi.

of the corups of the Calamity Relief Fund (CRF), which is contributed by the Government of India and the State Government in the ratio of 3:1. The State of Madhya Pradesh has been allocated an amount of Rs. 254.23 crore in the CRF for the year 2005-06, comprising Rs. 190.67 crore Central contribution and Rs. 63.56 crore as State contribution. The first instalment of Central Share of CRF amounting to the Rs. 95.335 crore has been released to the State of Madhya Pradesh on 6th July, 2005.

In case the calamity is of a severe nature and the funds available in the State's CRF account are not sufficient, additional assistance is provided to the States out of the National Calamity Contingency Fund (NCCF), after following the established procedure. The Government of India supplements the efforts of the State Governments by providing financial and logistic support, wherever necessary. The financial assistance in the wake of natural calamities is provided as per the approved items and norms of expenditure from CRF/NCCF.

The Government of Madhya Pradesh has submitted its Memorandum recently. With regard to the loss to agriculture in Madhya Pradesh, the State Government have in their Memorandum indicated that a vast area in the nine districts affected by heavy rains and floods still remains to be sown. According to the State Government, the expected area under delayed sowing is 7.86 lakh ha. area unsown due to floods is 3.86 lakh ha. and area under re-sowing is 0.22 lakh ha.

The State Government Memorandum has sought Central assistance of a total amount of Rs. 628.21 crore for relief the flood affected persons and for the repair and restoration of damaged property/infrastructure in the areas affected by floods in July, 2005. An amount of Rs. 23.88 crore has *inter-alia* been sought for providing input subsidy for a cropped area of 2.39 lakh ha. belonging to small and marginal farmers.

An Inter-Ministerial Team has visited the State for assessment of damage and requirement of funds for relief operations by the State Government. The report of the Team is yet to be received. Action on the report of the Central Team is taken by the Government, in consonance with the extant norms of assistance and the laid down procedure.

SHRI P.K. MAHESHWARI: Sir, Madhya Pradesh is predominantly dependent on agriculture. The State produces pulses, oilseeds and good quality wheat. Sir, earlier, the Eastern Madhya Pradesh was flooded to the

extent of almost 10,000 hectares of land. Now, the Western Madhya Pradesh, where soya is predominantly produced, is flooded. The State had asked for Rs. 650 crores, but only Rs. 95 crores have been released to the State. My question to the hon. Minister is this. The earlier assessment of Rs. 653 crores has now been extended because of floods in the Western part of Madhya Pradesh. Has the new assessment been made to meet the requirements?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, this demand of Rs. 628 crores is not only for agriculture purposes, but it is for constructing roads, providing electricity, constructing hospitals and all those things. This amount of Rs. 95 crores has been given to them as initial assistance. Now, they have to prepare a plan and that plan will come before the Government of India. Then, the Inter-Ministerial Committee will look into it. Generally, the Planning Commission looks into such cases, and whatever is required is given to them. This is the assistance given at the beginning itself.

श्री सभापति: आप अपनी स्टेट से प्लान भिजवा दीजिए, क्वेश्चन करने के बजाय वह ज्यादा अच्छा होगा। वह होगा, तो आगे काम हो जाएगा।

श्री विक्रम वर्मा: सभापति जी, यह जो प्रथम किश्त के रूप में 95 करोड़ रुपया रिलीज़ किया है, यह तो नेचुरल कैलेमिटीज़ के लिए 12 वें वित्त आयोग ने जो 250 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के लिए निर्धारित किया है, केवल उसी की पहली किश्त के रूप में भेजा गया है। केन्द्र सरकार की ओर से इसके लिए कोई अतिरिक्त सहायता नहीं दी गई है। मेरा कहना है कि 650 करोड़ रुपया उन्होंने खेती और अन्य कार्यों के लिए मांगा है, अन्य चीजों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने बाकायदा तीन-चार रिमाइंडर दिए हैं कि किस-किस काम के लिए कितनी-कितनी राशि की जरूरत होगी। यह विस्तृत जानकारी देने के बारे में शासन कोई विचार कर रहा है?

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: सभापति जी, हमारा दृष्टिकोण यह है कि स्टेट में जो भी आपदा आई है, उसमें पूरी तरह से उनकी मदद करें और इसीलिए जब बारिश बहुत जोर से हुई और लोगों को तकलीफ हुई, तो उनके मांगने से पहले ही यह सहायता उनको दी गई। इसके बाद देखा जाएगा कि किस काम के लिए कितने पैसे की जरूरत है और वह जानकारी आने के बाद निश्चित रूप से उनकी मदद की जाएगी। वहां के मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई है, यहां पर भी मुलाकात हुई है, इसके बारे में उनके पास समाधान है और वे आश्वस्त हैं कि जिस चीज की जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए यहां केन्द्र सरकार की ओर से पूरी तरह से मदद दी जाएगी।